न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 31/2020

1. हरसहाय पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडला गदाली तहसील महवा जिला दौसा।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ,तहसील महवा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार महवा दिनांक 29.06.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरसहाय मु0नं0 59/2020 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री मानसिंह पाटोली, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 03.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा जिला दौसा ने दिनांक 29.06.2020 को ग्राम खेडला गदाली तहसील महवा के खसरा नं0 383 रकबा 33वर्गमीटर किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित कर दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, गलत आधारों पर 91 आर0 एल0 एक्ट का एक भी तत्व प्रमाणित नही होने के बावजूद भी दोष सिद्ध किया जाकर एवं साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं0 383 रकबा 33 वर्गमीटर किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर पत्थर व सूखी लकडी व छप्पर डालकर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में नवनिर्माण होना बताया है। तहसीलदार महवा के पत्रांक राजस्व/2020/3092–3093 दिनांक 25.06.2020 द्वारा अतिक्रमण की पुनः जांच कर रिपार्ट मंगवाई गई। जिसके संदर्भ में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जो पत्थर पडे थे उनको हटा लिया जाना एवं शेष अतिक्रमण यथावत होना अवगत करवाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक सांथा के हस्ताक्षर भी अंकित है जो पत्रावली मे संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2020 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा